राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1714/2025

मुकेश कुमार पलसानिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, कृषि एवं पंचायती राज (कृषि) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं मृद्वा संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता पदेन प्रोजेक्ट मैनेजर, जलग्रहण सेल सह डाटा सेंटर, बनीपार्क, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.01.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रविन्द्र कुमार, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रारंभ में सहायक अभियंता के पद पर दिनांक 6.1.2021 को नियुक्त किया गया और उसे जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण पंचायत समिति शाहपुरा, जिला जयपुर में पदस्थापित किया गया था और उसके बाद आदेश दिनांक 19.6.2024 द्वारा अपीलार्थी को पचांयत समिति माधोराजपुरा (जयपुर) में स्थानांतरित कर दिया गया तथा स्थानान्तरण आदेश की अनुपालना में संबंधित प्राधिकारी ने आदेश दिनांक 12.7.2024 द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया और उक्त आदेशों की अनुपालना में अपीलार्थी ने 15.7.2024 को पंचायत समिति माधोराजपुरा (जयपुर) में कार्यभार ग्रहण कर लिया। तब से अपीलार्थी उक्त पद पर निरंतर पूर्ण संतुष्टि और समर्पण के साथ सेवाएं दे रहा है। (अनुलग्नक–2 व 3) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 15.1.2025 के आलौच्य आदेश (अनुलग्नक–1) के तहत अपीलार्थी को पुनः पंचायत समिति माधोराजपुरा (जयपुर) से पंचायत समिति डेगाना जिला नागौर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 6 माह की अल्प अवधि में स्थानांतरित कर दिया। आलौच्य स्थानांतरण आदेश राजस्थान पंचायती गतिविधियां नियम 2011 के नियम 8 (iii) के प्रावधान का उल्लंघन करके जारी किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने डॉ. संजय प्रभुणे बनाम राजस्थान राज्य (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 6507/2021) के मामले में दिनांक 10.4.2019 के आदेश के तहत स्थानांतरण आदेश को इस आधार पर रोक दिया था कि इसे 8 महीने के भीतर जारी किया गया था और उपरोक्त आदेश के आलोक में, न्यायाधिकरण ने

दिनांक 2.9.2020 के आदेश के तहत अपील संख्या 766/2020 में स्थानांतरण आदेश को भी रोक दिया है, जिसका शीर्षक जगदीश प्रसाद रैगर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य है। इस आधार पर कि स्थानांतरण आदेश 9 महीने की छोटी अवधि के भीतर जारी किया गया था। वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का केवल 6 महीने की अवधि के भीतर स्थानांतरण आदेश स्थानांतरित कर दिया है। अपीलार्थी की पत्नी मोनिका कुमारी गठाला भी सरकारी कर्मचारी है तथा वर्तमान में वह उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) के कार्यालय में सहायक वनपाल के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 250 किलोमीटर दूर स्थान पर कर दिया है। (अनुलग्नक–4)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.1.2025 (अनुलग्नक 1) को अपास्त फरमाया जावे एंव अपीलार्थी को जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण पंचायत समिति माधोराजपुरा (जयपुर) में सहायक अभियंता के पद पर नियमित वेतन एवं अन्य परिलाभों सहित निरंतर कार्यरत रखा जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण पंचायत समिति माधोराजपुरा (जयपुर) में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति माधोराजपुरा (जयपुर) से पंचायत समिति डेगाना जिला नागौर में आदेश दिनाक 15–1–2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा कर दिया। बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की पत्नी मोनिका कुमारी गठाला भी सरकारी कर्मचारी है तथा वर्तमान में वह उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) के कार्यालय में सहायक वनपाल के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी के स्थान पर किसी को पदस्थापित भी नहीं किया है। अतः आलौच्य आदेश निरस्त कर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण पंचायत समिति माधोराजपुरा (जयपुर) में सहायक अभियंता के पद पर ही पदस्थापित रखे जाने का निवेदन जारी किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया। जहां तक पंचायती राज विभाग से सहमति का विषय है। मंत्रीमंडल सचिवालय की विज्ञप्ति दिनांक 15.03.2024 से यह स्पष्ट है कि कृषि मंत्री को ही पंचायती राज विभाग के अधीन कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। अतः सक्षम सहमति के पश्चात आलौच्य आदेश प्रसारित किया गया है। आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया गया

है। आलौच्य आदेश में हम नियमों का उल्लघंन या कोई दुर्भावना नहीं पाते है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। प्रशासनिक निर्णय/आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक की निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो। अपीलार्थी अपनी पारिवारिक परेशानियों के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु सदैव स्वतंत्र है।

अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर निस्तारित किया जाता है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य